UPSI120026102023

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसवाँ-सीतापुर।

पीठासीन अधिकारी-(सुभाष)(उ०प्र० न्यायिक सेवा)UP03785

मो० इरफान बनाम बब्लू आदि।

परिवाद संख्या-1754/ 2023

दिनाँक 12.01.2024

1. पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है। परिवादी मो० इरफान के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से किया गया कथन इस प्रकार है कि- प्रार्थी/ परिवादी व प्रतिवादीगण एक ही मोहल्ले के निवासी हैं। प्रार्थी सीधा साधा व्यक्ति है जबकि प्रतिवादीगण दबंग, गुण्डा किश्म के व्यक्ति हैं। प्रार्थी व प्रतिवादीगण के मध्य कुछ रुपयों को लेकर काफी अर्से से विवाद चल रहा था, जिससे प्रतिवादीगण प्रार्थी से रंजिश मानते थे। घटना दिनाँक 12.09.2023 समय करीब 09.00 बजे रात की है। प्रार्थी अपनी पत्नी सन्नों के साथ दवा लेकर वापस अपने घर जा रहा था। प्रार्थी जैसे ही जैन मन्दिर के निकट पहुँचा तभी उपरोक्त सभी प्रतिवादीगण आ गये और प्रार्थी व उसकी पत्नी को घेर लिया और भद्दी-भद्दी गालियाँ प्रार्थी को देने लगे तो प्रार्थी ने गालियाँ देने से इंकार किया किन्तु प्रतिवादीगण नहीं माने और प्रार्थी पर फौजदारी आमादा होकर लात घूसों से मारने पीटने लगे तब प्रार्थी व उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगे। गाली गलौज व शोर शराबा सुनकर मोहल्ले के अरशद, सूफिया व उसमान आदि तमाम लोग आ गये और बीच बराव किया तब सभी प्रतिवादीगण बब्लू, जीशान, रेहान व इरफान उर्फ मुन्ना ने प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देकर चले गये। उसके बाद प्रार्थी अपनी पत्नी के साथ अपने घर चला गया। प्रार्थी अगली सुबह थाना बिसवाँ प्रतिवादीगणों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने गया किन्तु प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की। थाना बिसवाँ की पुलिस ने प्रार्थी को थाने से भगा दिया। मार पीट से प्रार्थी के शरीर पर काफी दर्द था, इसलिए प्रार्थी सरकारी अस्पताल गया और डॉक्टर को दिखा कर दवा ली। थाना बिसवाँ की पुलिस द्वारा प्रतिवादीगणों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने के कारण प्रतिवादीगणों के हौसले बुलन्द हैं। प्रार्थी/ परिवादी ने एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय, सीतापुर को जरिये डाक प्रेषित किया लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थी थक हारकर उक्त इस्तगासा श्रीमान् जी के न्यायालय में प्रेषित कर रहा है। प्रार्थी को पूर्ण विश्वास है कि श्रीमान् जी के द्वारा उसे न्याय मिलेगा। अतः प्रतिवादीगणों को तलब कर दण्डित करने की याचना की गयी है।

2. परिवादी द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० में कथन किया गया है कि घटना 12.09.2023 करीब नौ बजे शाम की है। घटना जैन मंदिर के पास की है जो कटरा के पास पड़ता है। मैं अस्पताल से घर दवा लेकर जा रहा था। रास्ते में चार लोग बब्लू, जीशान, रेहान और इरफान ने मुझे रोका और गन्दी गन्दी गालियाँ देने लगे। मना करने पर लात घूसों से मारने लगे। इस पर मैं चिल्लाया तो बचाने के लिए उस्मान, सूफिया और अरसद और अन्य लोग आ गये। चारों ने जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद मैं घर चले गए। सुबह मैं थाने गए। कोई कार्यवाही नहीं हुयी। थाने के बाद अस्पताल गए। अस्पताल में दवा दी गई। उसके बाद एक प्रार्थना पत्र कप्तान साहब को दी, पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उस्मान, सूफिया और अरसद मेरे मोहल्ले के लोग हैं। घटना मेरे घर से लगभग 300-400 मीटर की दूरी पर हुई है। चारों लोगों ने एक साथ मारा था।

3. परिवादी के द्वारा धारा 202 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत सी०डब्लू० 1 के रूप में मो० अरसद व सी०डब्लू० 2 के रूप में सुफिया को परीक्षित कराया गया है।

4. साक्षी सी०डब्लू० 1 मो० अरसद ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 202 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत कथन किया है कि घटना दिनाँक 12.09.2023 समय करीब 09.00 बजे रात की है। मो० इरफान अपनी पत्नी के साथ दवा लेकर अपने घर जा रहे थे जैसे ही जैन मन्दिर के पास पहुँचे तो विपक्षीगण बब्लू, जीशान, रेहान, इरफान उर्फ मुन्ना मो० इरफान को रोक लिया और भद्दी भद्दी गालियाँ देते हुए सभी लोग लात घूसों से मारने पीटने लगे। शोर शराबा सुनकर मौके पर मैं व सुफिया व उस्मान आदि तमाम लोग आ गये और बीच बचाव किया तभी विपक्षीगण मो० इरफान को जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। मैं बीच बचाव करके अपने घर चला गया था।

5. साक्षी सी०डब्लू० 2 सुफिया ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 202 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत कथन किया है कि घटना दिनाँक 12.09.2023, समय करीब 09.00 बजे रात की है। मेरे सामने मो० इरफान को विपक्षीगण बब्लू, जीशान, रेहान, इरफान भद्दी-भद्दी गालियाँ दे रहे थे व लात घूसों से मार रहे थे। मो० इरफान जोर जोर चिल्ला रहे थे, तभी मौके पर अरशद, उस्मान, आदि कई लोग मौके पर आ गये थे। तब हम लोगों ने मो० इरफान की जान बचाई थी। उसके बाद मो० इरफान को मार पीट कर व जान से मारने की धमकी देकर भाग गये थे। सभी लोग मो० इरफान आईंदा जान व देख लेने की धमकी देकर भाग गये, तब मो० इरफान ने हम लोगों को बताया था कि हमारा इन लोगों से उधार पैसे को लेकर विवाद चल रहा है।

6. परिवादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में निम्नलिखित साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं।

क्रम संख्या	**साक्ष्य का प्रकार**
1.	पुलिस अधीक्षक सीतापुर को प्रेषित प्रार्थना पत्र
2.	सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र बिसवाँ सीतापुर की दवा पर्ची

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण **बब्लू, जीशान, रेहान व इरफान उर्फ मुन्ना** को अन्तर्गत धारा **323, 504, 506 भा०दं०सं०** के अन्तर्गत तलब किये जाने का पर्याप्त आधार है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण **बब्लू, जीशान, रेहान व इरफान उर्फ मुन्ना** को अन्तर्गत धारा **323, 504, 506 भा०दं०सं०** के अन्तर्गत तलब किया जाता है। अभियुक्तगण को समन जारी हो। परिवादी गवाहों की सूची व आदेशिका शुल्क अविलम्ब जमा करें। पत्रावली दिनाँक 11.03.2024 को वास्ते हाजिरी मुल्जिम पेश हो।

दिनाँक 12.01.2024

(सुभाष)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बिसवाँ-सीतापुर।

दुर्गा शंकर/ -

Digitally signed by SUBHASH
Date: 2024.01.12 15:03:32 IST
Reason: Document Owner
Location: In the court of civil judge junior division Biswan